

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1299
08.12.2025 को उत्तर के लिए

थेनपेनई नदी में प्रदूषण

1299. थिरु दयानिधि मारनः
श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को कर्नाटक से थेनपेनई नदी में अशोधित सीवेज बहिःस्राव की जानकारी है, और नदी में प्रतिदिन मिलने वाले सीवेज की अनुमानित मात्रा कितनी है;
- (ख) तमिलनाडु में प्रवेश करने वाली उक्त मात्रा का आधिकारिक दैनिक अनुमान क्या है तथा डाउनस्ट्रीम जिलों-कृष्णागिरि, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम और कुड्डालोर, जहां विषाक्त झाग, जल प्रदूषण और जन स्वास्थ्य जोखिम की घटनाएं शामिल हैं, के संबंध में आकलित प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
- (ग) कर्नाटक और केंद्र सरकार द्वारा थेनपेनई में सीवेज बहिःस्राव को रोकने के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों की अनुपालन की स्थिति क्या है तथा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट की तिथियां क्या हैं;
- (घ) क्या सरकार ने अंतरराज्यीय प्रवेश बिंदुओं तथा डाउनस्ट्रीम जलाशयों के संबंध में जल गुणवत्ता परीक्षण कराया है अथवा उसकी समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके तत्संबंधी ब्यौरा और चालू स्थिति क्या है, और
- (ङ) तमिलनाडु में पेयजल, खेती और पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक खराब होने से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत क्या सुधार और प्रवर्तनीय उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) देश में जल निकायों के प्रदूषण की निगरानी के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत एक जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया है। वर्तमान में, देश में 4922 स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे नदियों

और अन्य जल स्रोतों में पानी छोड़ने से पहले निर्धारित मानकों के अनुसार सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का आवश्यक शोधन सुनिश्चित करें। केंद्रीय सरकार ने नदियों में निस्तारित किए जाने वाले शोधित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट के गुणवत्ता मानक तय किए हैं और इन मानकों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति (एसपीसीबी/पीसीसी) द्वारा लागू किया जाता है।

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, थेनपेनाई नदी के जलग्रहण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सीवेज की कुल अनुमानित मात्रा 1329 एमएलडी है। वर्तमान में, बेंगलूर जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) के पास 26 सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) हैं जिनकी स्थापित क्षमता 958.5 एमएलडी है और यह 830 एमएलडी सीवेज का शोधन कर रहा है और सूचित किया गया है कि 12 एसटीपी प्रस्तावित हैं।

इसके अलावा, केएसपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, केएसपीसीबी थेनपेनाई नदी के किनारे विभिन्न जगहों के अलावा, मुगलूर पुल पर नदी के पानी की गुणवत्ता की नियमित रूप से मासिक निगरानी कर रहा है। केएसपीसीबी द्वारा प्रस्तुत थेनपेनाई नदी की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, नदी का पानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित 'निर्दिष्ट सर्वोत्तम उपयोग जल गुणवत्ता वर्गीकरण' के तहत 'ई' (सिंचाई, औद्योगिक शीतलन, नियंत्रित अपशिष्ट निपटान) श्रेणी के मानदंडों को पूरा करता है।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने दिनांक 18.12.2024 को मूल आवेदन संख्या 1374/2024 (प्रधान पीठ) में तमिलनाडु के होसुर में बाँध से अधिशेष जल के प्रवाह के बाद विषैला फोम उत्पन्न होने के मामले की सुनवाई करते हुए, स्वतः संज्ञान आधार पर सभी प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे माननीय प्राधिकरण की उपयुक्त पीठ के समक्ष अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करें और इस मामले को माननीय एनजीटी दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई को हस्तांतरित कर दिया। इसके बाद, मामले को ओ.ए. संख्या 14/2025 (दक्षिण क्षेत्र) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिनांक 18.12.2024 के आदेश के अनुपालना में, सीपीसीबी ने, दिनांक 01.04.2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें, देश में प्रदूषित नदी खंडों की पहचान के लिए "पानी की गुणवत्ता-2022 की बहाली के लिए प्रदूषित नदी के खंडों" के लिए तैयार की गई रिपोर्ट का संदर्भ देते हुए, यह कहा गया है कि "मुगलुरू के साथ दक्षिणी पिनाकिनी" विस्तार को मुगलुरू के साथ पहली प्राथमिकता वाली एक प्रदूषित नदी खंड (पीआरआरएस) के तौर पर पहचाना गया है, जिसमें 2019 और 2021 की अवधि के दौरान 111 एमजी/ली का अधिकतम बीओडी दर्ज किया गया है। यह स्थान कर्नाटक में बेंगलुरु शहर के डाउनस्ट्रीम में स्थित है।

सीपीसीबी-क्षेत्रीय निदेशालय, बेंगलुरु तिमाही आधार पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत चोक्करासनपल्ली पुल पर थेनपेन्नायर नदी पर कर्नाटक-तमिलनाडु अंतर-

राज्यीय स्थान पर जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। यह स्थान कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के आगे डाउनस्ट्रीम में स्थित है।

बेंगलुरु स्थित सीपीसीबी, क्षेत्रीय निदेशालय के अधिकारियों ने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) के अधिकारियों के साथ मिलकर दिनांक 28.10.2024 को थेनपेन्नाई नदी के छह स्थानों का सैंपलिंग किया, जो इस प्रकार हैं: कर्नाटक राज्य में चन्नासंद्रा ब्रिज (01), मुगलुरु ब्रिज (01), और तमिलनाडु राज्य में चोक्करासनापल्ली (01), केलावरापल्ली डैम (डैम का पानी/अपस्ट्रीम, गेट के पास/डाउनस्ट्रीम, मिट्टेगनाहल्ली ब्रिज / मारासंद्रा) (03)। वर्ष 2024 के लिए जल गुणवत्ता डेटा के मूल्यांकन से पता चलता है कि घुलित ऑक्सीजन (डीओ) बीडीएल (0.3 मिलीग्राम/लीटर से कम) के रूप में देखा गया है, पीएच 7.2 से 8.1 के बीच है, बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) 17-52.4 मिलीग्राम/लीटर के बीच है और फिकल कोलीफॉर्म 2,80,000-79,00,000 एमपीएन/100 मिलीलीटर के बीच है।

इसके अलावा, केपीसीबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, ओए. नं. 111/2020 में माननीय एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन में, कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव ने माननीय एनजीटी, चेन्नई बेंच के समक्ष दिनांक 01.04.2025, 20.08.2025 और 13.11.2025 कार्रवाई/पालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

टीएनपीसीबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, थेनपेनाई नदी का यह खंड राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनसीआरपी) के अंतर्गत शामिल नहीं है। हालाँकि, 20.07.2020 की एनजीटी (एसजेड) आदेश के अनुसार, तमिल नाडु प्रवेश बिंदु पर नियमित जल-गुणवत्ता निगरानी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया कि उन्होंने थेनपेन्नाई नदी में नदी के जल की रीयल टाइम निगरानी के लिए वास्तविक समय जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किया है। टीएनपीसीबी, नियामक पालन और नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीपीसीबी और अपस्ट्रीम एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
